

## कोचगि संस्थानों में अध्ययनरत वदियार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा देने हेतु गाइडलाइन्स-2022

### चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित कोचगि संस्थानों में अध्ययनरत/नविसरत वदियार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गाइडलाइन्स-2022 को स्वीकृति दी। इस स्वीकृति से कोचगि संस्थानों में पढाई कर रहे वदियार्थियों को एक तनावमुक्त तथा सुरक्षित माहौल मलि सकेगा।

### प्रमुख बदि

- गाइडलाइन्स-2022 में वदियार्थियों पर प्रतस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण उत्पन्न हुए मानसिक तनाव एवं अवसाद के नरिकरण हेतु मनोचिकित्सकीय सेवा प्रदान करना, प्रवेशति तथा छात्रावासों में नविस करने वाले वदियार्थियों की पूर्ण सुरक्षा, वदियार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ करने की व्यवस्थाएँ, ज़िला प्रशासन स्तर पर पर्याप्त नगिरानी तंत्र की स्थापना, कोचगि छात्र-छात्राओं के लयि सुवधि केंद्र, साफ-सफाई का बेहतर प्रबंधन, कोचगि संस्थानों के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही, कोचगि संस्थानों में अध्ययनरत वदियार्थियों एवं उनके अभिावकों के लयि आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, वदियार्थियों की दनिचर्या में साइबर कैंफे की सुवधि आदि दिशा-नरिदेश शामिल कयि गए हैं।
- इस गाइडलाइन्स में कोचगि संस्थानों में पढ रहे वदियार्थियों को आईआईटी एवं मेडिकल संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने की स्थिति में उपलब्ध करयिर विकल्पों के बारे में बताया जाएगा। इसके अतरिकित संस्थान छोड़ने की स्थिति में ईजी एकजटि पॉलिसी एवं फीस रफिंड का प्रावधान कयि गया है।
- गाइडलाइन्स के तहत एक कम्पलेन्ट पोर्टल का नरिमाण कयि जाएगा। इसके अलावा नई गाइडलाइन्स में कोचगि सेंटर के सभी कार्मकों का पुलसि वेरफिकेशन सुनश्चिति कयि जाएगा। आवासीय कोचगि संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डाटा संधारति करने का प्रावधान भी गाइडलाइन्स में शामिल है। कोचगि संस्थानों द्वारा कसि भी प्रकार की मथिया प्रचार की रोकथाम की व्यवस्था गाइडलाइन्स में की गई है। इन दिशा-नरिदेशों की पालना नहीं करने पर कोचगि संस्थानों के वरिद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- कोचगि संस्थानों द्वारा गाइडलाइन्स का करयिन्वयन सुनश्चिति करने के लयि राज्यस्तरीय समति का गठन कयि गया है। इसमें उच्च शकिषा, स्कूल शकिषा, मेडिकल शकिषा, गृह वभिाग सहति सभी संबधति वभिागों के वरषिठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतरिकित गाइडलाइन्स के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में ज़िलास्तरीय कोचगि संस्थान नगिरानी समति का गठन कयि गया है, जसिमें वभिन्नि वभिागों के अधिकारियों के साथ-साथ अभिावकों, कोचगि संस्थानों, एनजीओ के प्रतनिधि एवं मनोवैज्ञानिक तथा मोटविशनल स्पीकर और ज़िले के अतरिकित ज़िला कलकटर शामिल हैं।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोचगि संस्थानों में अध्ययनरत वदियार्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोचगि संस्थानों के प्रभावी नयिमन के लयि बनाए गए 'राजस्थान नजी शकिषण संस्थान वनियामक प्राधकिरण वधियक, 2022' के लागू होने तक माननीय उच्च नयायालय के आदेशों की अनुपालना में उक्त गाइडलाइन्स को मंजूरी दी है।